

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, (एस.डी.ओ) बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी-श्री समदरसिंह भाटी, आर.ए.एस

रीडर/2023/4991

प्रार्थी

बनाम

अप्रार्थीगण

दिनांक - 03/11/2023

1 उम्मेदसिंह पुत्र लाभूसिंह
जाति राजपूत निवासी
नागणेशियान ढूंडा तहसील
बाड़मेर ग्रामीण जिला
बाड़मेर।

1 खुमाणसिंह पुत्र नगसिंह 2 तेजपालसिंह पुत्र कमलसिंह नाबालिग
जरिये कुदरती माता मोरुकंवर पत्नी कमलसिंह 3 भगवानसिंह पुत्र
नगसिंह 4 महेन्द्रसिंह पुत्र कमलसिंह नाबालिग जरिये कुदरती माता
मोरुकंवर पत्नी कमलसिंह 5 मोरुकंवर पत्नी कमलसिंह 6 रेवन्तसिंह
पुत्र नगसिंह 7 शैतानसिंह पुत्र कमलसिंह नाबालिग जरिये कुदरती
माता मोरुकंवर पत्नी कमलसिंह 8 सांवलसिंह पुत्र नगसिंह 9
जीवराजसिंह पुत्र अभयसिंह 10 जीवराजसिंह पुत्र हमीरसिंह 11
जीवराजसिंह पुत्र हमीरसिंह 12 पेमसिंह पुत्र हमीरसिंह 12 प्रतापसिंह
पुत्र पनेसिंह 13 पवनीकंवर पत्नी अभयसिंह 14 भूरसिंह पुत्र
गुणेशसिंह 15 मांगूसिंह पुत्र इन्द्रसिंह 16 लक्ष्मी पत्नी हमीरसिंह 17
हरीसिंह पुत्र पनेसिंह जाति राजपूत निवासी नागणेचान ढूंडा
तहसील बाड़मेर ग्रामीण 18 भानाराम 19 उम्मेदाराम 20 चंदाराम
पिसरान जीयाराम जाति जाट निवासी हनुमान नगर, कवास तहसील
बाड़मेर ग्रामीण जिला बाड़मेर 21 तहसीलदार बाड़मेर ग्रामीण।


प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128,111 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, करने नेखमबन्दी बाबत
राजस्व आवेदन संख्या :- 185/2023

आदेश

दिनांक-

12/10/23

उपर्युक्त, प्रकरण मौजा नागणेशियान ढूंडा पटवार क्षेत्र कवास तहसील बाड़मेर ग्रामीण व
जिला बाड़मेर के खसरा संख्या 799/607 रकबा 10.1900 हैक्टेयर व खसरा संख्या 606 रकबा 0.
0647 हैक्टेयर व मौजा हनुमान नगर पटवार क्षेत्र कवास तहसील बाड़मेर ग्रामीण व जिला बाड़मेर के
खसरा संख्या 637/116 रकबा 0.8256 हैक्टेयर भूमि के चारो तरफ पक्के नेखम स्थापित करते हुए
नेखमबन्दी करने हेतु तहसीलदार बाड़मेर ग्रामीण को कमीशनर नियुक्त किया जाता है। उक्त
नेखमबन्दी कार्रवाई करने से पूर्व प्रार्थी व अप्रार्थीगण को नोटिस/पत्र के जरिये सूचित करते हुए
एक तिथि निश्चित (वर्षाकाल में खड़ी फसल पर सीमांकन व पत्थरगढी नही करने बाबत राजस्व
विभाग द्वारा जारी निर्देश दिनांक 04.08.1992 के मद्देनजर) कर पक्षकारान की उपस्थिति में
नेखमबन्दी की जावे। कमीशनर शुल्क रुपये 1500/- अक्षरे एक हजार पांच सौ रुपये मात्र निर्धारित
की जाती है, जो प्रार्थी द्वारा मौके पर अदा किया जावेगा।


(समदरसिंह भाटी)


उपखण्ड अधिकारी,
बाड़मेर

दिनांक

03/11/2023

क्रमांक :- रीडर/2023/4992-95
प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है :-

1. तहसीलदार बाड़मेर ग्रामीण पालना प्रस्तुत करते वक्त पत्र पर निर्णय की तिथि अवश्य अंकित करें।
2. पटवारी कवास तहसील बाड़मेर ग्रामीण को भेजकर लेख है कि निर्धारित तिथि को मय रेकॉर्ड
उपस्थित रहकर नेखमबन्दी की कार्यवाही पूर्ण करावें।
3. उम्मेदसिंह पुत्र लाभूसिंह जाति राजपूत निवासी नागणेशियान ढूंडा तहसील बाड़मेर ग्रामीण जिला
बाड़मेर।
4. विप्रार्थी खुमाणसिंह पुत्र नगसिंह वगैराह जाति राजपूत निवासी नागणेचान ढूंडा तहसील बाड़मेर
ग्रामीण जिला बाड़मेर।


उपखण्ड अधिकारी,
बाड़मेर